

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग।

पत्रांक 1919 (मौ०)
प्रेषक,

/पटना, दिनांक 10/10/2019

अमृत लाल मीणा,
प्रधान सचिव,
पंचायती राज विभाग, पटना।
के० के० पाठक,
प्रधान सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी, बिहार।
सभी उप विकास आयुक्त, बिहार।

विषय:- राजकीय नलकूपों की मरम्मति, संचालन एवं रख-रखाव के लिए पंचायत के मुखियाओं को प्रशिक्षित करने के संबंध में।

प्रसंग:- लघु जल संसाधन विभाग का संकल्प संख्या 992 दिनांक 04/02/2019
महाशय,

आप अवगत हैं कि उपर्युक्त संकल्प द्वारा सभी राजकीय नलकूपों को ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित कर दिया गया है। अधिकांशतः मुखियाओं ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है और उत्साहजनक तरीके से नलकूपों का संचालन अपने हाथ में लिया है। किन्तु ऐसा देखा गया है कि कतिपय मुखिया अभी भी वांछित सहयोग लघु जल संसाधन विभाग के अभियंताओं को नहीं दे रहे हैं। ऐसी भी शिकायतें आयी हैं कि न सिर्फ कुछ मुखिया नलकूप मरम्मति के कार्य में रूची नहीं ले रहे हैं, अपितु काम हो जाने के बाद भी संवेदकों को समय से भुगतान नहीं कर रहे हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि कुछ मुखियागण अभी तक इस नयी व्यवस्था में नलकूपों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझ नहीं पाए हैं।

पंचायती राज विभाग एवं लघु जल संसाधन विभाग का मानना है कि इस नई प्रणाली को स्थायित्व प्रदान करना आवश्यक है। इसलिए मुखियाओं को जागरूक करना एवं संवेदनशील बनाना आवश्यक होगा। जो पंचायतें अच्छा काम कर रही हैं उन्हें और प्रोत्साहित करना है और जो मुखिया अपने दायित्वों से कन्नी काट रहे हैं, उन्हें समझाने की आवश्यकता है। यदि समझाने के बाद भी वे मुखिया सहयोग नहीं करते हैं तो उनपर कार्रवाई का अधिकार बनता है।

उपर्युक्त को देखते हुए एवं पंचायती राज व्यवस्था में नलकूपों के संचालन को स्थायित्व प्रदान करने के उद्देश्य से दोनों विभागों का मानना है कि सभी जिलाधिकारी एवं उप विकास आयुक्त नियमित तौर पर सभी मुखियाओं की कार्यशाला एवं गोष्ठियां आयोजित करें, जिसमें नलकूपों के संचालन एवं नलकूपों की मरम्मती की समीक्षा हो। जो राशि लघु जल संसाधन विभाग द्वारा दी गई है वह सही तरीके से व्यय की जाय। जो मुखिया रूची नहीं ले रहे हैं, उन्हें समझाया जाय एवं आगाह किया जाय। यह भी देखा जाय कि सभी मुखियाओं ने अपने स्तर से पम्प चालक रखें हैं या नहीं तथा पटवन की वसूली नियमित तरीके से हो रही है या नहीं? उल्लेखनीय है कि इस नई व्यवस्था में पटवन शुल्क की वसूली का जिम्मा ग्राम पंचायत का ही है।

अतः उपर्युक्त के आलोक में अनुरोध होगा कि आप अपने जिले में मुखियाओं का रोस्टर बनाकर पाक्षिक/मासिक तौर पर नियमित कार्यशाला आयोजित करें जिसमें नलकूप की प्रगति की समीक्षा की जाय। साथ ही विभागीय संकल्प 992 दिनांक 04.02.19 में दिये गये अन्य दायित्वों की समीक्षा भी की जाय। कार्यशाला एवं गोष्ठियों में होने वाले व्यय को लघु जल संसाधन विभाग द्वारा वहन किया जायेगा। इस हेतु खर्च की गई राशि का भुगतान Reimbursement Basis पर लघु जल संसाधन विभाग द्वारा किया जायेगा।

इस सब के बावजूद यदि कोई मुखिया आपसे सहयोग नहीं करते हैं तो पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 18 (5) के अधीन उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रस्ताव पंचायती राज विभाग को भेजा जाय।

(के० के० पाठक)

प्रधान सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

विश्वासभाजन,

(अमृत लाल मीणा)

प्रधान सचिव,
पंचायती राज विभाग,
बिहार, पटना।